भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3552

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसान कल्याण हेतु योजनाएँ

3552. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र में कितने किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से लाभान्वित हुए हैं और उन्हें कुल कितने दावों का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार विजयपुरा में पीएमकेएसवाई योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एमएसपी योजना के तहत किसानों को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने की योजना बना रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : विजयपुरा (बीजापुर) निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं:

- जल की वास्तविक पहुँच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रही है।
- जोखिम कम करने हेतु फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के साथ-साथ उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू कर रही है।

- सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। एमएसपी तय करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले, जिससे अधिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य उचित मूल्य पर आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना भी है।

(ख): कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत विजयपुरा (बीजापुर) निर्वाचन क्षेत्र के 5,52,527 किसानों को लाभ मिला है और 2016-17 से 2023-24 के दौरान निपटाए गए दावों की कुल राशि 1,00,961.91 लाख रुपये है।

(ग): विजयपुरा जिले में कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी): नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर (एनएलबीसी) विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य मार्च, 2024 तक 1.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के निर्माण के साथ पूरा होने की जानकारी दी गई है।

(ii) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी): डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, डीओएलआर ने विजयपुरा जिले में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पीडीएमसी को कार्यान्वित कर रहा है और 2015-16 से अब तक विजयपुरा जिले में पीडीएमसी के माध्यम से 1.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज (मिलेट) और मोटे अनाज की खरीद इस सीमा तक की जाती है कि
संबंधित राज्य सरकार उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए उपयोग कर सकती है। संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना के एक घटक, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता वाले अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद एमएसपी पर की जाती है। इसके अलावा, कपास और जूट की खरीद सरकार क्रमशः भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम के माध्यम से एमएसपी पर करती है। एमएसपी आपरेशनों के तहत खाद्यान्नों की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में उनकी उपज की बिक्री, ऑनलाइन भूमि/फसल सत्यापन और किसानों से उपज प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर प्राथमिक एजेंसी द्वारा उपज के मूल्य के बराबर एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किए जाने के लिए किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से महत्वपूर्ण पारदर्शिता आई है। रबी विपणन सत्र 2021-22 से पूरे देश में डीबीटी के माध्यम से "एक राष्ट्र, एक एमएसपी" के कार्यान्वयन के साथ, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है, जिससे प्रणाली में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी आई है। बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय लेने के लिए लगभग वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं का भंडार रखने के लिए राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

*****